

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(201)ग्राविवि / ग्रुप-5 / जीकेएन / सरंपच ज्ञापन / 2015-16

जयपुर, दि. 12 जून, 2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :- निर्माण कार्यों के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थाई आदेश संख्या 36/2018 दिनांक 27.03.2018 द्वारा तकनीकी अधिकारियों को संशोधित/नवीनतम प्रदत्त शक्तियों के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय परिपत्र क्रमांक 27(79) ग्रावि/अनु.-5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 14.09.2014, स्थाई आदेश संख्या 32/2017 दिनांक 13.04.2017 (एफ 27(263)ग्रावि/अनु.-5/जीकेएन/उपापन/2015-16) एवं स्थाई आदेश संख्या 36/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निर्माण कार्यों के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थाई आदेश संख्या 36/2018 दिनांक 27.03.2018 द्वारा तकनीकी अधिकारियों को संशोधित/नवीनतम प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे :—

1. विभागीय परिपत्र दिनांक 17.9.2014 द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पावर्स में संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) को मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण — पत्र जारी करना आदि किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं होगी।
2. विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.14 द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पावर्स में संविदा पर कार्यरत जेटीए/एसटीए परिशिष्ट-3 में प्रदत्त सीमा राशि तक की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए यथावत अधिकृत होंगे।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओं (JEn/AEn/XEn/SE) के मार्गदर्शन में यथावत कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण कर सकेंगे।
4. उक्त संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओं (JEn/AEn/XEn/SE) के मार्गदर्शन में कार्यों की माप (Record Entry) संबंधित मापपुस्तिका में दर्ज कर सकेंगे, लेकिन कार्यों का मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण — पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। उक्तानुसार स्थाई आदेश संख्या 36/2018 के अनुसार कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण — पत्र एवं पूर्णता प्रमाण — पत्र सक्षम विभागीय अभियंताओं (JEn/AEn/XEn/SE) के द्वारा ही जारी किये जावेंगे।

भवदीय,

(कंजी लाल सीणा)

प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रावि एवं पंरावि/सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
7. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
9. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
10. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
13. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
14. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. अधिशासी अभियंता, ईजीएस/अभियांत्रिकी/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जि. प. समस्त राजस्थान।
16. विकास अधिकारी, पं. स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे।
17. रक्षित पत्रावली।



अधीक्षण अभियंता, ग्रावि.